महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय ,उज्जैन

देवास रोड,
उज्जैन (म.प्र.) – 456010
दूरभाष–(0734) 2922037 (कार्या.)

E-mail-regpsvvmp@rediffmail.com
Website– www.mpsvvujjain.org

दिनांक 04 अक्टूबर, 2019 को आयोजित विद्या परिषद बैठक का कार्यविवरण

दिनांक 04 अक्टूबर, 2019 को प्रशासनिक कार्यालय में अपराह्न 03:30 बजे विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन के सभाकक्ष में आयोजित विद्या परिषद बैठक आयोजित की गई जिसमें निम्नांकित सदस्य उपस्थित थे –

–: उपस्थिति :–

1. **डॉ. पंकज एल. जानी**
   कुलपति, महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक, विश्वविद्यालय, उज्जैन म.प्र. – अध्यक्ष
2. **प्रो. बालकृष्ण शर्मा,**
   कुलपति, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन – सदस्य
3. **डॉ. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय,**
   व्याख्याता शा. संस्कृत रामानन्द संस्कृत महाविद्यालय, भोपाल – सदस्य
4. **डॉ. मनमोहन उपाध्याय,**
   संकायाध्यक्ष–वेद वेदांग एवं साहित्य संकाय
   महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक, विश्वविद्यालय, उज्जैन – सदस्य
5. **डॉ. रामशरण पाण्डेय,**
   संकायाध्यक्ष–कलासंकाय,
   शा. सरकृत महाविद्यालयय, भीतरी जिला सीधी म.प्र. – सदस्य
6. **डॉ. तुलसीदास परौहा,**
   एसोसिएट प्रोफेसर, महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय, उज्जैन म.प्र. – सदस्य
7. **डॉ. पूजा उपाध्याय**
   असिस्टेंट प्रोफेसर, महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय, उज्जैन म.प्र – सदस्य
8. **डॉ. एल.एस.सोलंकी,**
   कुलसचिव, महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय, उज्जैन म.प्र. – सचिव

––00––

बैठक की कार्यवाही प्रारंभ होने के पूर्व कुलपतिजी द्वारा विद्या–परिषद् के उपस्थित सभी सदस्यों का स्वागत एवं अभिनन्दन किया गया। इसके पश्चात् बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ हुई।

विषय क्रमांक – 01 – **विद्या परिषद् की बैठक दिनांक 06 जून, 2019 के कार्य विवरण का पालन प्रतिवेदन ।**

विषय	निर्णय	क्रियान्वयन
विषय क्रमांक – 3 विश्वविद्यालय के 1. वेद वेदांग एवं साहित्य 2. कला, 3. शिक्षा शास्त्र एवं 4. प्राचीन विज्ञान संकायों की विभिन्न बैठकों के कार्यवाही विवरण अवलोकन एवं अनुमोदनार्थ। टीप :– विश्वविद्यालयों में संचालित	विचार कर निर्णय लिया गया कि पूर्व से संचालित पाठ्यक्रमों तथा संकायों से अनुमोदित पुनरीक्षित पाठ्यक्रमों को अनुमोदित किया जाता है तथा आधुनिक विषयों के	परम्परागत संकायों के निर्णय को क्रियान्वित किया जा रहा है तथा आधुनिक विषयों में स्नातकोत्तर एवं

विभिन्न विषयों के पाठ्यक्रमों की विषय समितियों की बैठक 20/05/2019 से 28/05/2019 के मध्य आयोजित की गई। विषय समितियों में सभी विभागों के पाठ्यक्रमों का अनुमोदन कर समितियों द्वारा अनुमोदन/स्वीकृत किया गया। तत्पश्चात 04.06.2019 को सम्बद्ध संकायों की बैठकों में विषय समिति द्वारा पुनरीक्षित पाठ्यक्रमों का अनुमोदन किया गया। अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत। :	पाठ्यक्रमों पर गंभीरता से विचार किया जाकर आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाए।	पीएच.डी. की कार्यवाही प्रचलन में है।
विषय क्रमांक – 4 : परीक्षा समिति, ग्रन्थालय समिति, पाठ्यक्रम पुनरीक्षण समिति, छात्रावास स्थायी समिति, समतुल्यता समिति, शोध उपाधि समिति (आरडीसी) समिति, मुद्रण एवं प्रकाशन समिति, शोधोपाधि समिति, शोध पत्रिका प्रकाशन समिति की बैठक का कार्यवाही विवरण अनुमोदनार्थ। टीप :– उक्त समितियों की बैठकें समय–समय पर आयोजित की गई है। उपरोक्त समस्त समितियों का कार्य–विवरण अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।	विश्वविद्यालय द्वारा की गई कार्यवाही का अनुमोदन किया गया एवं निर्णय लिया गया कि पाठ्यक्रम पुनरीक्षण समिति (एड ऑन पाठ्यक्रम) से संबंधित प्रस्ताव आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाए। यह भी निर्णय लिया कि परीक्षा समिति के स्थान पर 'केन्द्रीय परीक्षा समिति' संशोधित की जाए। समतुल्यता समिति के संबंध में वेदविभूषण उपाधि हेतु एक समिति गठित कर विचार किया जाए।	निर्णयानुसार कार्यवाही की गई ।
विषय क्रमांक – 5 : शासकीय महाविद्यालयों की सत्र 2019–20 के लिये स्थायी/अस्थायी सम्बद्धता/निरन्तरता एवं नवीन पाठ्यक्रम आरम्भ करने पर विचार । टीप :– शासकीय महाविद्यालयों की सत्र 2019–20 के लिये संचालित पाठ्यक्रमों की स्थायी/अस्थायी सम्बद्धता जारी की जाना है। सम्बद्ध शासकीय महाविद्यालयों के नाम अधोलिखित है :– 1. शासकीय मानमल भीमराज रूईया संस्कृत महाविद्यालय, उज्जैन 2. शासकीय संस्कृत महाविद्यालय रामबाग, इन्दौर 3. शासकीय रामानन्द संस्कृत महाविद्यालय, लालघाटी, गुफा मंदिर, भोपाल 4. शासकीय संस्कृत महाविद्यालय अचलेश्वर, ग्वालियर 5. शासकीय वेंकट संस्कृत महाविद्यालय, शिवा	प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुए निर्देशित किया गया कि उक्त महाविद्यालयों का यथा समय निरीक्षण कराया जाए।	निर्णयानुसार कार्यवाही प्रचलन में है।

6. शासकीय संस्कृत महाविद्यालय, भीतरी 7. शासकीय अभयानन्द संस्कृत महाविद्यालय, कल्याणपुर 8. शासकीय संस्कृत महाविद्यालय, देवेन्द्र नगर, पन्ना 9. शासकीय संस्कृत महाविद्यालय, खजूरीताल, जिला सतना		
विषय क्रमांक – 6 : अशासकीय महाविद्यालयों की सत्र 2019–20 के लिये स्थायी/अस्थायी सम्बद्धता निरन्तरता एवं नवीन पाठ्यक्रम आरम्भ करने पर विचार । टीप :– अशासकीय महाविद्यालयों की सत्र 2019–20 के लिये मान्यता/निरन्तरता एव नवीन पाठ्यक्रम आरम्भ करने हेतु शासन से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना आवश्यक है। शासन से निम्नाकित कुल पाँच अशासकीय महाविद्यालयों ने अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त किये हैं : 1. नगर निगम श्री लोकनाथ शास्त्री संस्कृत महाविद्यालय, गोविन्दगंज, जबलपुर 2. श्री राम संस्कृत महाविद्यालय, जानकीकुण्ड, चित्रकूट जिला सतना 3. श्री नारायण संस्कृत महाविद्यालय, मोहन टॉकीज रोड, कटनी 4. श्री पीताम्बरा पीठ संस्कृत महाविद्यालय, दतिया 5. श्री रावतपुरा संस्कृत महाविद्यालय, लहार, जिला भिण्ड उपरोक्त पाँच महाविद्यालयों के अतिरिक्त जिन शेष 06 अशासकीय महाविद्यालयों ने अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया है, उनके नाम निम्नलिखित हैं :– 1. श्री रामनाम संस्कृत महाविद्यालय, अक्षयवट, चित्रकूट जिला सतना 2. श्री जानकी संस्कृत महाविद्यालय, पुरानी लंका, चित्रकूट जिला सतना 3. ऋषिकुमार संस्कृत महाविद्यालय, पीलीकोठी,चित्रकूट जिला सतना 4. श्रीगणेश दिगम्बर जैन संस्कृत महाविद्यालय, सागर	विचारोपरान्त प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया तथा जिन 06 महाविद्यालयों ने अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त नहीं किया है, उनके संबंध में आयुक्त, उच्च शिक्षा, म.प्र. शासन एवं संबंधित महाविद्यालय को आवश्यक कार्यवाही हेतु पत्र पेषित किया जाए।	निर्णयानुसार कार्यवाही की गई ।

5. धर्मश्री संस्कृत महाविद्यालय, सागर 6. श्री गुरूकुल महाविद्यालय, ज्ञानपुरा, धार अतः जिन महाविद्यालयों ने अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर किया लिया है, उन्हें सम्बद्धता जारी करने पर विचार किया जाना है।		
विषय क्रमांक – 7 शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों/शैक्षणिक संस्थाओं/न्यासों/ समितियों आदि संस्थाओं को डिप्लोमा एवं प्रमाणपत्रीय पाठ्यक्रमों की सम्बद्धता/मान्यता प्रदान करने पर विचार। टीप :– दिनांक 21.05.2019 को आयोजित प्राचार्य बैठक में प्रस्ताव प्राप्त हुआ है कि विश्वविद्यालय द्वारा संचालित डिप्लोमा (पत्रोपाधि) पाठ्यक्रमों 1. पौरोहित्य एवं कर्मकाण्ड, 2. ज्योतिष, 3. वास्तुशास्त्र 4. संस्कृत सम्भाषण 5. संगीत 6. वैदिक गणित 7. योग एवं अन्य का संचालन विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों, न्यास, समितियों एवं सस्थाओं द्वारा भी किया जा सके। इस दृष्टि से विचार किया जाना है।	विचारोपरान्त प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।	निर्णयानुसार कार्यवाही प्रचलन में है।
विषय क्रमांक – 8 पीजीडीसीए (PGDCA)/मन्दिर प्रबन्धन/उज्जैन दर्शन/मध्यप्रदेश सांस्कृतिक एवं धार्मिक पर्यटन का एक वर्षीय डिप्लोमा (पत्रोपाधि) पाठ्यक्रम आरम्भ करने पर विचार। टीप :– रोजगार परक पाठ्यक्रमों को ध्यान में रखते हुए उक्त डिप्लोमा (पत्रोपाधि) पाठ्यक्रम संस्कृत शिक्षण–प्रशिक्षण तथा ज्ञान–विज्ञान संवर्धन केन्द्र के अन्तर्गत आरम्भ करने पर विचार किया जाना प्रस्तावित है।	विचारोपरान्त प्रस्ताव मान्य करते हुए सुझाव दिया गया कि उज्जैन सांस्कृतिक दर्शन के स्थान पर अवन्ति जनपद के संबंध में 06 माह का प्रमाण–पत्र पाठ्यक्रम आरम्भ किया जाए तथा मध्यप्रदेश को चार भागों 1. मालवा, 2. निमाड़, 3. बुन्देलखण्ड, 4. बघेलखण्ड में विभाजित कर एक वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम आरंभ किया जाए। डिप्लोमा एवं सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम के लिये अन्य विश्वविद्यालयों में प्रचलित प्रावधानों को संज्ञान में रखा जाए।	निर्णयानुसार कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
विषय क्रमांक – 9 विश्वविद्यालय एवं सम्बद्ध महाविद्यालयों में बी.ए./एम.ए. संस्कृत (हिन्दी माध्यम) शासन के पाठ्यक्रमानुसार प्रारंभ करने	विश्वविद्यालय एवं सम्बद्ध महाविद्यालयों में बी.ए./एम.ए. संस्कृत (हिन्दी माध्यम) से आरम्भ करने के लिये	निर्णयानुसार कार्यवाही की जा रही है, प्रकरण प्रक्रियाधीन है।

पर विचार। टीप :–विश्वविद्यालय एवं सम्बद्ध महाविद्यालयों में उक्त पाठ्यक्रमों का संचालन करने पर छात्रों की संख्या में वृद्धि होगी तथा संख्याबल बढ़ेगा। उक्त पाठ्यक्रम शा. संस्कृत महाविद्यालय इन्दौर मे सफलता पूर्वक संचालित हो रहा है। इस पाठ्यक्रम में अन्य पाठ्यक्रम की अपेक्षाकृत छात्र संख्या भी अधिक है। उक्त पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय एवं सम्बद्ध महाविद्यालयों में भी संचालित किया जाना प्रस्तावित है।	छात्रों की सीट संख्या निर्धारित की जाए ताकि शास्त्री एवं आचार्य के पाठ्यक्रमों में छात्र संख्या बनी रहे।	
विषय क्रमांक–10 : एम.ए.–वास्तुशास्त्र, एम.एससी–कम्प्युटर विज्ञान एवं संस्कृत भाषा प्रौद्योगिकी तथा एम.ए.–हिन्दी, अंग्रेजी, समाजशास्त्र, इतिहास, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र आदि विषयों में विश्वविद्यालय तथा सम्बद्ध महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर एवं शोध पाठ्यक्रम क्रमशः आरम्भ करने पर विचार। टीप :– (क) विश्वविद्यालय में वेद वेदांग एवं साहित्य संकाय के अन्तर्गत नवीन पाठ्यक्रम एम.ए.–वास्तुशास्त्र पाठ्यक्रम आरम्भ किया जाना है। चूंकि वास्तुशास्त्र को ज्योतिष का ही अभिन्न अंग माना गया है अतः यह पाठ्यक्रम ज्योतिष एवं ज्योतिर्विज्ञान विभाग द्वारा संचालित किया जा सकेगा। (ख) संस्कृत शिक्षण–प्रशिक्षण तथा ज्ञान–विज्ञान संवर्धन केन्द्र के अन्तर्गत विश्वविद्यालय में एम.एससी.–कम्प्युटर विज्ञान एवं संस्कृत भाषा प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रम आरम्भ किया जाना है। चूंकि स्स्कृत भाषा के प्रचार–प्रसार एवं ज्ञान–विज्ञान के संवर्धन हेतु केन्द्र स्थापित किया गया है। अतः उक्त पाठ्यक्रम केन्द्र द्वारा संचालित किया जाएगा। (ग) सम्बद्ध महाविद्यालयों में आधुनिक विषयों के आचार्य सेवारत हैं अतः एम.ए. हिन्दी, अंग्रेजी, समाजशास्त्र, इतिहास, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र आदि में भी स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम तथा शोध कार्य कला संकाय के अन्तर्गत आरम्भ किया जाना प्रस्तावित है।	गंभीरता से विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि एम.ए. वास्तुशास्त्र, वेद–वेदांग एवं साहित्य संकाय के अन्तर्गत संचालित किया जाये तथा प्रवेशार्हता आदि विश्वविद्यालय स्तर पर निर्धारित की जाये तथा अन्य विषय आवश्यकतानुसार आगामी विद्या परिषद में प्रस्तुत किया जाए।	निर्णयानुसार कार्यवाही की जा रही है।

विषय क्रमांक–11 : एम.ए. ज्योतिर्विज्ञान, योग एवं एम.ए. संस्कृत (हिन्दी माध्यम) से उत्तीर्ण छात्रों को संस्कृत/हिन्दी/अंग्रेजी भाषा में शोध प्रबन्ध लिखने की स्वीकृति प्रदान करने पर विचार। टीप :– विद्या परिषद की बैठक दिनांक 26.07.2018 की बैठक के बिन्दु क्रमांक 17 में निर्णय लिया गया था कि विश्वविद्यालय में विद्यावारिधि (पीएच.डी) शोध प्रबन्ध का लेखन मात्र संस्कृत भाषा में ही किया जा सकेगा। किन्तु एम.ए. ज्योतिर्विज्ञान, योग एवं संस्कृत (हिन्दी माध्यम) उत्तीर्ण छात्रों को शोध प्रबन्ध के लेखन हेतु संस्कृत/हिन्दी/अंग्रेजी माध्यम की स्वीकृति प्रदान करने पर विचार किया जाना है।	विचारोपरान्त पूर्व व्यवस्था संस्कृत माध्यम की यथावत रखी जाने का निर्णय लिया गया।	निर्णयानुसार का पालन किया जा रहा है।
विषय क्रमांक–12 : विद्यावारिधि (पीएच.डी.) शोध प्रवेश परीक्षा की नियमावली का अनुमोदन करने विषयक। टीप :– शोध प्रवेश परीक्षा की नियमावली का निर्माण यू.जी.सी. द्वारा निर्धारित मानदण्डों के आधार पर किया गया है। तदनुसार नियमावली का अवलोकन कर अनुमोदन करना अपेक्षित है।	प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।	निर्णय का पालन किया जा रहा है।
विषय क्रमांक–13 : दीक्षान्त समारोह के आयोजन पर विचार। टीप :– विश्वविद्यालय की स्थापना से अभी तक एक बार भी दीक्षान्त समारोह का आयोजन नहीं किया गया है। यह कार्यक्रम नवम्बर माह में किया जाना प्रस्तावित है। इस संबंध में समय–समय पर राजभवन से भी पृच्छा होती है। अतः यह कार्यक्रम आयोजित करने से अकादमिक गुणवत्ता में वृद्धि होगी तथा छात्र–शिक्षकों में उत्साह का संचार होगा तथा छात्र संख्या में वृद्धि होगी।	प्रस्ताव अनुमोदित करते हुए दीक्षान्त समारोह के लिये 08 से 10 लाख की वित्तीय व्यवस्था की अनुशंसा की गई।	निर्णय पर कार्यवाही की जा रही है।
विषय क्रमांक–14 : युवा महोत्सव का आयोजन अक्टूबर–नवम्बर माह में करने पर विचार। टीप :–युवा महोत्सव का आयोजन विगत 02 वर्षों से निरन्तर हो रहा है। इसके आयोजन से छात्रों को प्रतिभा प्रदर्शन करने का एक अवसर प्राप्त होता है। युवा उत्सव के अन्तर्गत शैक्षणिक एवं	प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया, 4 से 6 लाख की वित्तीय व्यवस्था की अनुशंसा की गई।	निर्णय का पालन किया जा रहा है।

शारीरिक कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं यह कार्यक्रम इस वर्ष अक्टूबर–नवम्बर माह में आयोजित करना प्रस्तावित है। जिसमें चयनित विद्यार्थी भारतीय विश्वविद्यालय संघ (AIU) द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में भी भाग ले सकेंगे।		
विषय क्रमांक–15 : आधार पाठ्यक्रम एवं वार्षिक परीक्षा पद्धति के पाठ्यक्रमों का पुनरीक्षण एवं अंकों के विभाजन पर विचार। टीप :– शासन द्वारा निर्धारित आधार पाठ्यक्रम के प्रश्न–पत्र वर्तमान में पृथक–पृथक पूछे जाते हैं। इन प्रश्न–पत्रों को एक ही प्रश्न–पत्र में समायोजित कर उनकी 100 अंकों की परीक्षा आयोजित की जाएगी जो कि एक दिवस में सम्पन्न होगी। इससे छात्रों के ऊपर अनावश्यक भार कम होगा तथा अन्य विषय के अध्यापन एवं परीक्षा के समय की भी बचत होगी। शेष बचे समय का उपयोग विद्यार्थी अतिरिक्त गतिविधियों में कर सकेंगे।	प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।	निर्णय का पालन किया जा रहा है।
विषय क्रमांक–16 : विश्वविद्यालय के विभागों द्वारा सत्र 2019–20 में आयोजित किये जाने वाले अकादमिक कार्यों का अनुमोदन। टीप :–विश्वविद्यालय के शैक्षणिक विभाग द्वारा सत्र 2019–20 में अनेक शैक्षणिक कार्य आयोजित किये जाते हैं। विभागशः सूची संलग्न है।	निर्णय : विश्वविद्यालय द्वारा की गई कार्यवाही का अनुमोदन किया गया।	निर्णय का पालन किया जा रहा है।
विषय क्रमांक–17 : अन्ताराष्ट्रिय संगोष्ठी के आयोजन पर विचार। टीप :– विश्वविद्यालय द्वारा प्रथम बार अन्ताराष्ट्रिय संगोष्ठी का आयोजन किया जाना है इस संगोष्ठी में विशिष्ट विद्वानों, संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपतियों तथा विदेशों से भी संस्कृत विद्वानों को आमंत्रित किया जाएगा। यह संगोष्ठी 02 दिवसीय होगी।	प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।	निर्णय पर कार्यवाही की जा रही है।
विषय क्रमांक–18 : विश्वविद्यालय भवन में विद्यार्थियों की बैठक व्यवस्था/कक्षा कक्ष के लिये अस्थायी निर्माण तथा फर्नीचर क्रय करने एवं अन्य आवश्यक संसाधन जैसे कम्प्युटर, सीसीटीवी, प्रोजेक्टर आदि क्रय करने पर विचार।	आवश्यकतानुसार स्थायी तथा अस्थायी अध्ययन कक्ष निर्माण हेतु प्रस्ताव को वित्त समिति एवं कार्य परिषद में स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करने की अनुशंसा की गई।	निर्णयानुसार पालन किया जा रहा है। कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

टीप :– विश्वविद्यालय परिसर में पीबीसी के अस्थायी कक्षों का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। इन कक्षों के निर्माण होने से छात्रों के के लिए कक्षा–कक्ष की अस्थायी व्यवस्था हो सकेगी। विश्वविद्यालय द्वारा शासन स्तर पर विश्व बैंक से भवन निर्माण हेतु अनुदान प्राप्त करने के लिये प्रस्ताव भेजा गया है। जिसमें प्रक्रिया एवं निर्माण में 01 वर्ष से अधिक का समय लग सकता है।		
विषय क्रमांक–19 विश्वविद्यालयों के संकायों में सदस्यों के मनोनयन पर विचार । टीप :– विश्वविद्यालय के समस्त संकायों 1. वेद वेदांग एवं साहित्य, 2. कला, 3. शिक्षा एवं 4. प्राचीन विश्वविद्यालयों में विद्या परिषद् के सदस्यों में से एक–एक सदस्य एवं बाह्य विद्वानों में से दो व्यक्तियों का मनोनयन करने पर विचार।	इस प्रकरण पर सदस्यों के मनोनयन हेतु कुलपतिजी को अधिकृत किया गया।	निर्णयानुसार पालन किया गया। निर्णयानुसार जारी की गई अधिसूचना संलग्न है।
विषय क्रमांक–20 : विशिष्ट संस्कृत बी.ए. को बी.ए. आनर्स उपाधि (संस्कृत माध्यम) के लिखे जाने पर विचार। टीप :– उपाधि में बी.ए. ऑनर्स संस्कृत माध्यम से लिखा होने पर उत्तीर्ण छात्रों को संस्कृत विश्वविद्यालयों/संस्थानों आदि में वरीयता प्राप्त होगी।	प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुए निर्देशित किया गया कि बी.ए. ऑनर्स (संस्कृत) के लिए सामान्य बी.ए. के पाठ्यक्रम से संस्कृत का प्रश्नपत्र अधिक रंखने एवं अंक भी अधिक रखने का निर्णय किया गया।	निर्णय का पालन किया जा रहा है।
विषय क्रमांक–21 : सत्र 2019–20 में व्याख्यान हेतु अतिथि विद्वानों को आमन्त्रित करने पर विचार। टीप :– वर्तमान में विश्वविद्यालय में सात प्राध्यापक स्थायी रूप से नियुक्त हैं। उनके द्वारा समस्त पाठ्यक्रमों की कक्षाओं का संचालन संभव नहीं है। अतः शैक्षणिक कार्यभार के अनुरूप स्नातक/स्नातकोत्तर एवं डिप्लोमा पाठ्यक्रम में अध्यापन हेतु अतिथि विद्वानों को आमंत्रित किया जाना है।	प्रस्ताव पर विचार करते हुए निर्णय किया गया कि यूजीसी एवं उच्च शिक्षा विभाग, म.प्र.शासन के दिशा–निर्देशों के अनुसार विश्वविद्यालय की वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए कार्यवाही सम्पन्न की जाए।	निर्णय पालन के अनुक्रम में अतिथि विद्वानों को आमंत्रित किया गया है। अतिथि विद्वानों की सूची संलग्न है।
विषय क्रमांक–22 : परीक्षा परिणाम घोषित करने की प्रक्रिया के संबंध में विचार। टीप :– विश्वविद्यालय द्वारा सत्र 2018–19 की वार्षिक/सेमेस्टर परीक्षा के परिणाम घोषित किये जा चुके हैं। शास्त्री बी.ए.षष्ठ सेमेस्टर तथा आचार्य/एम.ए. की परीक्षाएं सम्प्रति संचालित हो रही है। उक्त परीक्षाओं के परिणाम घोषित किये	प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। सभी परीक्षा परिणाम कुलसचिव द्वारा संकायाध्यक्ष / अध्यक्ष केन्द्रीय परीक्षा समिति की अनुशंसानुसार कुलपतिजी का अनुमोदन प्राप्त कर जारी करें।	निर्णय का पालन किया जा रहा है।

जाने है जिनका अनुमोदन विश्वविद्यालय स्तर पर किया जाना प्रस्तावित है।		
निर्णय :–	विद्या परिषद् की बैठक दिनांक 06 जून, 2019 के कार्य विवरण का पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण की गई एवं सम्पुष्टि की गई।	

विषय क्रमांक – 02 टीप :– निर्णय :–	**विद्या परिषद् की बैठक दिनांक 06 जून, 2019 के कार्य विवरण की सम्पुष्टि पर विचार।** विद्या परिषद् की बैठक दिनांक 06 जून, 2019 के कार्य विवरण की सम्पुष्टि पर विचारार्थ संलग्न प्रस्तुत है। **विद्या परिषद् की बैठक दिनांक 06 जून, 2019 के कार्य विवरण की सम्पुष्टि की गई।**
विषय क्रमांक – 03 टीप :– निर्णय :–	**वेद,वेदांग एवं साहित्य संकाय तथा प्राचीन विज्ञान संकाय के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन।** दिनांक 06 जून, 2019 को आयोजित वेद, वेदांग एवं साहित्य संकाय तथा दिनांक 06 जून, 2019 को आयोजित प्राचीन विज्ञान संकाय की बैठक का कार्यवाही विवरण अनुमोदनार्थ संलग्न। **वेद,वेदांग एवं साहित्य संकाय तथा प्राचीन विज्ञान संकाय के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन किया गया।**
विषय क्रमांक – 04 टीप :– निर्णय :–	**शोधोपाधि समिति (RDC) का कार्यवाही विवरण का अनुमोदन।** दिनांक 03, 04, 13, एवं 17 सितम्बर, 2019 को आयोजित शोधोपाधि समिति (RDC) का कार्यवाही विवरण का अनुमोदनार्थ संलग्न। शोधोपाधि समिति द्वारा निम्नानुसार आचार्यों को शोध निर्देशक के रूप में अनुबन्धों सहित मान्यता की अनुशंसा की गई है – 1. डॉ. मनमोहन उपाध्याय – संस्कृत साहित्य 2. डॉ. रामशरण पाण्डेय – संस्कृत साहित्य 3. डॉ. बी.के. शर्मा– संस्कृत साहित्य 4. डॉ. सुजाता शांडिल्य– संस्कृत साहित्य 5. डॉ. शुभम् शर्मा – ज्योतिष 6. डॉ. उपेन्द्र भार्गव– ज्योतिष 7. डॉ. प्रवीण दुबे–ज्योतिष 8. डॉ. संकल्प मिश्र–वेद 9. डॉ. एच.पी. दीक्षित – व्याकरण 10. डॉ. सिद्धसेन शास्त्री – व्याकरण 11. डॉ. हरेन्द्र भार्गव – व्याकरण 12. डॉ. लवलेश मिश्र – व्याकरण उपरोक्त 12 शोध–निर्देशकों का अनुमोदन प्रस्तुत किया जाना है। **दिनांक 03, 04, 13, एवं 17 सितम्बर, 2019 को आयोजित शोधोपाधि समितियों के (RDC) कार्यवाही विवरण का अनुमोदन किया गया किन्तु पीएच.डी. मार्गदर्शकों**

	को निम्नानुसार मान्यता दी गई – निम्नांकित 08 पीएच.डी. मार्गर्शकों को मान्यता दी गई– 1. डॉ. मनमोहन उपाध्याय – संस्कृत/साहित्य 2. डॉ. रामशरण पाण्डेय – संस्कृत/साहित्य 3. डॉ. बी.के. शर्मा – संस्कृत/साहित्य 4. डॉ. शुभम् शर्मा – ज्योतिष 5. डॉ. उपेन्द्र भार्गव – ज्योतिष 6. डॉ. संकल्प मिश्र – वेद 7. डॉ. एच.पी. दीक्षित – व्याकरण 8. डॉ. सिद्धसेन शास्त्री – व्याकरण वेद विषय के शिक्षक वेद से सम्बद्ध सभी शाखाओं एवं ज्योतिष विषय के शिक्षक ज्योतिष की सभी शाखाओं तथा दर्शन विषय के शिक्षक दर्शन/संस्कृत/साहित्य विषय के शोधकार्य करा सकेंगे।
विषय क्रमांक – 05 टीप :– निर्णय :–	**विश्वविद्यालय के कुलगीत का निर्धारण करने पर विचार।** विश्वविद्यालय का कुलगीत निर्धारित करने हेतु विचारार्थ कुलगीत का प्रस्तावित रूप संलग्न। **विश्वविद्यालय के 2 प्रस्तावित कुलगीत का श्रवण किया गया। विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि कुलगीत के निर्धारण हेतु समिति का गठन किया जाये। गठित समिति के माध्यम से निर्धारण किया जाये। समिति के गठन हेतु कुलपति जी को अधिकृत किया गया।**
विषय क्रमांक – 06 टीप :– निर्णय :–	**डिप्लोमा संचालित करने वाले एवं शोध केन्द्रों को मान्यता देने के पूर्व निरीक्षण शुल्क का निर्धारण।** विश्वविद्यालय के अधिनियम की धारा 7 (1) के अन्तर्गत विश्वविद्यालय को शोध तथा शिक्षण सत्र जो कि विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिये सहायक हो, ऐसे केन्द्रों के संचालन आदि की शक्तियाँ प्राप्त है। तदनु शिक्षण केन्द्रों तथा शोध केन्द्रों को मान्यता प्रदान करने हेतु प्रस्ताव विचारार्थ प्रस्तुत। **विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय के अधिनियम की धारा 7 (1) के अनुसार कार्यवाही की जाये तथा मान्यता हेतु शुल्क रू. 15000/– (पन्द्रह हजार रूपये) .निर्धारित किया गया। समिति के गठन हेतु कुलपति जी को अधिकृत किया गया। शोध केन्द्र एवं शिक्षण केन्द्र के लिये पृथक–पृथक आवेदन करना होगा तथा दोनों का शुल्क भी पृथक–पृथक देय होगा। शिक्षण केन्द्रों एवं शोध केन्द्रों का आवेदन शुल्क रू.1000/– (एक हजार रूपये) निर्धारित किया गया है तथा शिक्षण एवं शोध केन्द्रों के दिशा–निर्देशों का आंशिक संशोधन के साथ अनुमोदन किया गया।**
विषय क्रमांक – 07 टीप :– निर्णय :–	**छात्रों से प्राप्त शुल्कों का पृथक से खाता खोलने पर विचार।** विश्वविद्यालय में नामांकित छात्रों द्वारा नामांकन से लेकर माईग्रेशन तक जमा की जाने वाले शुल्क हेतु पृथक् खाता खोला जाना आवश्यक है। इससे आय–व्यय का परिज्ञान बना रहेगा। प्रस्ताव विचारार्थ प्रस्तुत। **विचारोपरान्त छात्रों से प्राप्त शुल्कों का पृथक से खाता खोलने का निर्णय लिया गया।**

विषय क्रमांक – 08 टीप :– निर्णय :–	**शोध संस्थान एवं शिक्षण केन्द्रों को मान्यता प्रदान करने पर विचार।** विभिन्न संस्थानों को शोध संस्थान एवं शिक्षण केन्द्र के रूप में मान्यता प्रदान करने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत है। **विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि जो महाविद्यालय/न्यास/संस्थाएं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मानक पूर्ण करती हैं उन्हें मान्यता प्रदान करने की कार्यवाही की जाए।**
विषय क्रमांक – 09 टीप :– निर्णय :–	**राजीव गांधी अध्ययन केन्द्र के प्रस्ताव का अनुमोदन।** शासन के निर्देशानुसार राजीव गांधी अध्ययन केन्द्र प्रारंभ किया जाना है। अतएव प्रस्ताव अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है। **राजीव गांधी अध्ययन केन्द्र के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया तथा शासन को प्रस्ताव प्रेषित करने का निर्णय लिया गया।**
विषय क्रमांक – 10 टीप :– निर्णय :–	**विश्वविद्यालय के लिये पाठ्य–पुस्तक लेखन की स्वीकृति पर विचार।** विश्वविद्यालय के लिये पाठ्य–पुस्तक लेखन की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए निम्नानुसार पाठ्य–पुस्तक लेखन कराने की स्वीकृति एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है :– पुस्तक लेखन – प्रति पृष्ठ रू. 80/– (टाईपिंग एवं मानदेय सहित) शब्द संख्या – 2500 शब्द प्रति यूनिट फॉन्ट – संस्कृत 2003 फॉन्ट साईज – 14 लाईन स्पेस – 1.0 **विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि किन पाठ्य–पुस्तकों का लेखन किया जाना है इसके निर्धारण के लिये एक समिति गठित कर पुस्तकों का लेखन कराया जाये। समिति के गठन हेतु कुलपति जी को अधिकृत किया गया एवं यह भी निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय के लिये पाठ्य–पुस्तक लेखन हेतु प्रति पृष्ठ 100 रू. न्यूनतम 250 शब्द (टाईपिंग एवं मानदेय सहित) संशोधित करते हुए निम्नानुसार यथावत स्वीकृति प्रदान की जाती है।** शब्द संख्या – 2500 शब्द प्रति यूनिट फॉन्ट – संस्कृत 2003 फॉन्ट साईज – 14 लाईन स्पेस – 1.0
विषय क्रमांक – 11 टीप :– निर्णय :–	**संस्कृत महाविद्यालयों की निरीक्षण रिपोर्ट अवलोकनार्थ एवं सूचनार्थ ।** सत्र 2018–19 में विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों के निरीक्षण हेतु विश्वविद्यालय की ओर से प्रेषित समिति द्वारा निरीक्षण किया गया है। जिसकी रिपोर्ट अवलोकनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रस्तुत है। **निरीक्षण रिपोर्ट के अनुशंसानुसार अग्रिम कार्यवाही की जाये ।**

विषय क्रमांक – 12 टीप :– निर्णय :–	कक्षा 12 वीं उत्तीण छात्रों को टी.सी./माइग्रेशन के आधार पर विश्वविद्यालय के स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश देने पर विचार। म.प्र.शासन द्वारा स्नातक कक्षाओं में टी.सी./माईग्रेशन का विकल्प रखा गया है। उसी प्रकार विश्वविद्यालय के स्नातक कक्षाओं में टी.सी. अथवा माईग्रेशन प्रमाण पत्र जमा करने पर छात्रों को प्रवेश दिया जाना आवश्यक है। अतः प्रकरण विचारार्थ प्रस्तुत है। विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि कक्षा 12 वीं उत्तीण छात्रों को टी.सी./माइग्रेशन के आधार पर विश्वविद्यालय के स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश दिया जाये।
विषय क्रमांक – 13 टीप :– निर्णय :–	श्री रामनाम संस्कृत महाविद्यालय, अक्षयवट, चित्रकूट जिला सतना म.प्र. के सत्र 2019–20 की मान्यता/सम्बद्धता पर विचार। उक्त महाविद्यालय से प्राप्त पत्र दिनांक 22.07.2019 में वर्ष 2019–20 के लिये मान्यता एवं सम्बद्धता जारी रखने का अनुरोध किया गया है। प्रकरण विचारार्थ प्रस्तुत है। विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि शासन स्तर से अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त होने के उपरान्त ही मान्यता/सम्बद्धता प्रदान की जाये तथा उक्त महाविद्यालयों में यदि छात्रों को प्रथम वर्ष में प्रवेश दिया जा चुका है तो उन छात्रों को निकटतम मान्यता प्राप्त महाविद्यालय में स्थानांतरित किया जाये।
विषय क्रमांक – 14 टीप :– निर्णय :–	ऋषिकुमार संस्कृत महाविद्यालय, पीलीकोठी , चित्रकूट जिला सतना म.प्र. के सत्र 2019–20 की मान्यता/सम्बद्धता पर विचार। उक्त महाविद्यालय से प्राप्त पत्र दिनांक 24.07.2019 में वर्ष 2019–20 के लिये मान्यता एवं सम्बद्धता जारी रखने का अनुरोध किया गया है। प्रकरण विचारार्थ प्रस्तुत है। विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि शासन स्तर से अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त होने के उपरान्त ही मान्यता/सम्बद्धता प्रदान की जाये तथा उक्त महाविद्यालयों में यदि छात्रों को प्रथम वर्ष में प्रवेश दिया जा चुका है तो उन छात्रों को निकटतम मान्यता प्राप्त महाविद्यालय में स्थानांतरित किया जाये।
विषय क्रमांक – 15 टीप:– निर्णय :–	श्री पीताम्बरा पीठ संस्कृत महाविद्यालय दतिया में नियुक्त प्राचार्य एवं प्राध्यापकों की सूचना पर विचार। श्री पीताम्बरा पीठ संस्कृत महाविद्यालय दतिया में वर्ष नियुक्त प्राचार्य एवं प्राध्यापकों की सूचना पर विचार। विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि उपरोक्त विषयान्तर्गत नियुक्ति पर विधिक परामर्श प्राप्त कर कार्यपरिषद् में प्रस्तुत किया जाये।

अन्त में समस्त सदस्यों एवं अध्यक्ष महोदय के प्रति धन्यवाद ज्ञापित कर परिषद् की कार्यवाही समाप्त हुई।

(डॉ.एल.एस.सोलंकी)
कुलसचिव
सचिव

14/10/19

(डॉ. पंकज एल. जानी)
कुलपति
अध्यक्ष